भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2731

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत राज्यों पर वित्तीय संकट

2731. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम-जी) के अंतर्गत राज्यों द्वारा अनिवार्य 40 प्रतिशत वित्तपोषण के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों के गंभीर वित्तीय संकट को देखते हुए, इस प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर वीबी-जी राम-जी लाए जाने के समय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए जाने के लिए 17,144 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी; और

(च) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को लंबित बकाया राशि जारी करने का कोई निर्णय लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 वीबी जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत, कार्यक्रम की लागत को सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों

और विशिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। यह वित्तपोषण पैटर्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू ढांचे के अनुकूल है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रति राज्य के स्वामित्व, जवाबदेही और प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है।

वित्त वर्ष 2026-27 (01.07.2026 से 31.03.2027) के लिए, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के केंद्रीय अंश के रूप में ₹95,692.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो बजट अनुमान चरण में देश में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए अब तक के सबसे बड़े आवंटन में से एक है। चालू वित्त वर्ष (2026-27) के लिए, इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न घटकों के लिए ₹25,844.97 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रिपोर्ट दी है कि तदनुसार उनके हिस्से के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। केरल के मामले में, 01.07.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय अंश के रूप में ₹3,136.44 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है। इसके बाद, राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वीबी-जी राम जी के तहत विभिन्न घटकों के लिए पहली किस्त के रूप में ₹925.33 करोड़ की मूल स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

(ङ) और (च): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लंबित देयता के निपटान के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत लंबित देयता के निपटान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की मांग, पहले से स्वीकृत निधियों के उपयोग, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति के आधार पर समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में, ₹9,711.98 करोड़ की मजदूरी घटक की लंबित देयताओं को जारी कर दिया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी स्वीकार्य लंबित मजदूरी देयताएं शामिल हैं। सामग्री घटक के लिए, मंत्रालय ने सामग्री देयताओं को जारी करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के रूप में ₹7,765.68 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसमें से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ₹5,842.96 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि यदि पिछले वित्तीय वर्षों की कोई लंबित देयता हो, तो उसके प्रस्ताव प्रस्तुत करें ताकि यह विभाग उनकी जांच कर सके और सभी पात्र भुगतानों को शीघ्रता से जारी कर सके।